संख्या- 327 /2025/ 3203 /चार-2025-1986846

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2025**

विषय:- केवड़िया, गुजरात में आयोजित 'भारत पर्व-2025' में संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा 'उन्नत संस्कृति-समग्र विकास' की थीम पर आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुति/ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3170/सं0नि0-15(92)/2025-26, दिनांक 05 नवम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के क्रम में अवगत कराया गया है कि सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की 150 वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा केवड़िया, एकता नगर, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष दिनांक 01-15 नवम्बर, 2025 तक 'राष्ट्रीय एकता दिवस पखवाड़ा' का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों के कला, संस्कृति एवं पर्यटन का प्रदर्शन किया जाना है। इस अवसर पर **उत्तर प्रदेश की सहभागिता दिनांक 12 नवम्बर, 2025 को निर्धारित की गई है।** संस्कृति विभाग उ0प्र0 द्वारा 'उन्नत संस्कृति-समग्र विकास' की थीम पर आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुति/ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय में 02 दिवसीय रिहर्सल लखनऊ एवं 01 रिहर्सल गुजरात एवं शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2025 के अनुसार प्रदेश के बाहर प्रस्तुति होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय सम्मिलित करते हुए कलाकारों का विवरण एवं अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्ययों का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

केवड़िया, गुजरात जाने वाले कलाकरों के मानदेय पर व्यय							
क्र0 सं0	दल प्रमुख का नाम	मोबाईल नं0	विधा का नाम	संख्या	मानदेय	किराया	कुल योग
1	श्री श्याम सिंह, गाजियाबाद।	9811013256	शंख, थुमचैन, डमरू,	8	1,08,000.00	36,000.00	1,44,000.00
2	सुश्री सनाहल देवी, गाजियाबाद।	8076247828	छत्र, योगा, कन्टैम्प्ररी आदि	8	1,08,000.00	36,000.00	1,44,000.00
3	सुश्री आशा देवी, सोनभद्र।	7388243577	मादल जनजाति नृत्य	9	1,08,000.00	30,000.00	1,38,000.00
4	श्री मुरारी लाल तिवारी, मथुरा।	9897310331	मयूर नृत्य, फूलों की होली, चरकुला।	15	1,08,000.00	30,000.00	1,38,000.00
5	सुश्री राधा प्रजापति, झांसी।	8545928737	राई लोकनृत्य	10	1,08,000.00	30,000.00	1,38,000.00
6	सुश्री पूर्णिमा कनौजिया, प्रयागराज।	9369764320	ढ़ेढ़िया लोक नृत्य	10	1,08,000.00	15,000.00	1,23,000.00
7	भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ (प्रो0 प्रेरणा राणा)	8193875053	कथक नृत्य, रामसीता	9	1,08,000.00	0	1,08,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	श्री संजय शर्मा, मथुरा।	9810254080	कोरियोग्राफर	4	2,00,000.00	0	2,00,000.00
9	श्री मोहित, लखनऊ।	6392936550	कोरियोग्राफर	3	40,000.00	0	40,000.00
योग				76	9,96,000.00	1,77,000.00	11,73,000.00

2. कलाकारों के आवास, भोजन एवं यातायात पर रू0 32.90 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव वास्तविक व्यय के आधार पर शासन को पृथक से उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 01 से 15 नवम्बर, 2025 तक केवड़िया, गुजरात में आयोजित 'भारत पर्व-2025' में संस्कृति विभाग उ0प्र0 द्वारा आयोजित 'उन्नत संस्कृति-समग्र विकास' की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय **रू0 11,73,000.00 (रूपये ग्यारह लाख तिहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त वास्तविक व्यय के अधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।